

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 160/2015

संस्थापित दिनांक 08/04/2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. गोवर्धन सिंह राजावत पुत्र श्री रनवीर
सिंह राजावत उम्र 48 वर्ष निवासी गनेशपुरा
मुरैना हाल गली नं. 5 मुड़िया पहाड़ नाका
चंद्रवदनी लश्कर ग्वालियर म.प्र.।

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा-279 भा0द0स0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री अशोक पचौरी।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 16/01/17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 24.02.15 को दिन के 2:45 बजे मारबल चौराह पर मालनपुर में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बस क्र. एमपी07 पी 0882 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी राकेश गुप्ता का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न करते हुए भा.दं.सं. की धारा 279 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.02.15 को फरियादी राकेश कुमार गुप्ता अपनी कार क्र. एमपी07 सीबी 7148 से ग्वालियर से मालनपुर आ रहा था। दिन के करीब पोने तीन बजे वह मारबल चौराह मालनपुर पहुंचा था तभी भिण्ड की तरफ से बस क्र. एमपी07 पी 0882 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया था एवं सेन्द्रो कार क्र. एमपी07 सीबी 7148 में टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से उसकी कार टूट गयी थी। बस चालक बस को ग्वालियर की तरफ भगाकर ले गया था। मौके पर उसके सुपरवाइजर श्रीकांत, पार्टनर वासुदेव विनोदानी एवं कुनाल अग्रवाल भी मौजूद थे। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मालनपुर में अपराध क्र. 23/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका

बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टता पढकरसुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 24.12.15 को दिन के 2:45 बजे मारबल चौराह मालनपुर में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बस क्र. एमपी07 पी 0882 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न एवं राकेश कुमार गुप्ता का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी राकेश कुमार गुप्ता अ.सा. 1, साक्षी श्रीकांत गुप्ता अ.सा. 2, महेश अ.सा. 3, प्रधान आरक्षक गजेन्द्र सिंह अ.सा. 4, कुनाल अग्रवाल अ.सा. 5, एस.आई. महेन्द्र देव सिंह अ.सा. 6, वासुदेव विनोदानी अ.सा. 7 एवं रामकरन शर्मा अ.सा. 8 को परीक्षित किया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राकेश कुमार गुप्ता अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी गोबर्धन सिंह को नहीं जानता है। घटना दिनांक 24.02.15 के दिन के पोने 3 बजे की है। वह अपनी सेंद्रो कार क्र. एमपी07 सीबी 7148 से ग्वालियर से मालनपुर जा रहा था, उसके साथ उसका सुपरवाइजर श्रीकांत, पार्टनर वासुदेव एवं कुनाल अग्रवाल भी थे। मारबल चौराह पर पहुंचा था तो भिण्ड से बस क्र. एमपी07 पी 0882 का चालक बस को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया था और उसकी कार में टक्कर मार दी थी जिससे उसकी कार अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी थी। गाड़ी में ड्राइवर साइड में अत्यधिक नुकसान हुआ था। गाड़ी में लगभग लाख, डेढ़ लाख का नुकसान हुआ था। बस चालक ने जब टक्कर मारी थी, तब वह लोग छुल्लाये गये थे उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया था। पब्लिक इकट्ठा हो गयी थी, जिसने नम्बर नोट किया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह गाड़ी में टक्कर लगने से बेहोश हो गया था तथा यह भी स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट से वह इतने भयभीत हो गये थे कि बस का नंबर नहीं देख पाये थे। बस कौन चला रहा था यह भी नहीं देख पाये थे। भीड़ में किसी व्यक्ति ने बस का नंबर बताया था वह उसका नाम नहीं बता सकता है।

8. साक्षी श्रीकांत सिंह अ.सा. 2 कुनाल अग्रवाल अ.सा. 5 एवं वासुदेव विनोदानी अ.सा. 7 ने भी फरियादी राकेश गुप्ता के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को बस क्र. एमपी07 पी 0882 द्वारा सेंद्रो कार को टक्कर मार देने बाबत प्रकटीकरण किया है।

9. साक्षी महेश अ.सा. 3 ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी गोबर्धन सिंह को नहीं जानता है। वह सुखेन्द्र सिंह चौहान की गाड़ी का ड्राइवर है। प्रमाणीकरण प्रदर्श पी 4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रमाण पत्र उसने नहीं दिया था। पुलिस ने उसके हस्ताक्षर कराये थे। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 5 एवं जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 6 के क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। बस क्र. एमपी07 पी 0882 को उसके सामने जप्त किया था। बस थाने पर खड़ी की थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचन प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह त्रिपाठी ट्रेवल्स में ड्राइवरी का कार्य करता है एवं यह भी स्वीकार किया है कि बस क्र. एमपी07 पी 0882 त्रिपाठी ट्रेवल्स की बस है। वह नहीं बता सकता कि उक्त बस को ड्राइवर गोबर्धन चलाता है। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने उक्त संबंध में प्रदर्श पी 4 का प्रमाणीकरण दिया था।

10. प्रधान आरक्षक गजेन्द्र सिंह अ.सा. 4 ने प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। रामकरन शर्मा अ.सा. 8 ने आरोपित बस क्र. एमपी07 पी 0882 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 को प्रमाणित किया है एवं एस.आई. महेन्द्र देव सिंह अ.सा. 6 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राकेश कुमार गुप्ता अ.सा. 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह अपनी सेन्ट्रो कार क्र. एमपी07 सीबी 7148 से ग्वालियर से मालनपुर जा रहा था, उसके साथ श्रीकांत, वासुदेव एवं कुनाल अग्रवाल भी थे मारबल चौराह पर भिण्ड की तरफ से बस क्र. एमपी07 पी 0882 का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और उसकी कार में टक्कर मार दी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि टक्कर लगने से वह भयभीत हो गया था, उसने न तो बस का नम्बर देखा था और न ही यह देखा था कि बस को कौन चला रहा था। भीड़ में से किसी ने बस का नम्बर बताया था, जिसका वह नाम नहीं बता सकता। इस प्रकार राकेश कुमार अ.सा. 1 के कथन से यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षी ने एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली बस को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया है कि उसने बस का नंबर स्वयं नहीं देखा था, बल्कि उसे भीड़ में से किसी व्यक्ति ने बताया था एवं जिस व्यक्ति ने उसे बस का नंबर बताया था, वह उसका नाम नहीं बता सकता है। इस प्रकार फरियादी राकेश कुमार अ.सा. 1 के कथनों से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी ने न तो दुर्घटना कारित करने वाली बस का नंबर देखा था और न ही यह देखा था कि उक्त बस को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी गोबर्धन ने आरोपित बस क्र. एमपी07 पी 0882 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की थी।

13. साक्षी श्रीकांत सिंह अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी गोबर्धन को नहीं जानता है। घटना वाले दिन वह कार से पारस फैक्ट्री मालनपुर आ रहा था। उक्त को राकेश गुप्ता चला रहा था। मालनपुर चौराह पर भिण्ड की तरफ से बस क्र. एमपी07 पी 0882 का चालक तेजी व लापरवाही से बस को चलाते हुए लाया था और उसकी कार में टक्कर मार दी थी। वह बस चालक को नहीं पहचान सकता है। नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी 3 के ए से ए भाग पर उसके

हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि बस को कौन ड्राइवर चला रहा था वह नहीं देख पाया था। इस प्रकारण श्रीकांत शर्मा अ.सा. 2 के कथनों से यही दर्शित होता है कि उक्त साक्षी ने एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली बस क्र. एमपी07 पी 0882 को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी की पहचान भी नहीं की गयी है। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

14. साक्षी कुनाल अग्रवाल अ.सा. 5 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह सेन्द्रो कार से ग्वालियर से मालनपुर जा रहा था तो मालनपुर चौराह पर बस क्र. एमपी07 पी 0882 ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी जिससे कार में करीब साठ हजार रुपये का नुकसान हुआ था। गाड़ी उसके चाचा राकुश गुप्ता की थी, उसे नहीं मालूम बस को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि बस का चालकर गोबर्धन था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने बस चालक को नहीं देखा, उसे बस के चालक का नाम आज तक पता नहीं है। इस प्रकार कुनाल अग्रवाल अ.सा. 5 के कथनों से भी यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षी ने एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली बस को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

15. साक्षी वासुदेव विनोदानी अ.सा. 7 ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन बस क्र. एमपी07 पी 0882 द्वारा सेन्द्रो कार क्र. एमपी07 सीबी 7148 में टक्कर मार देना बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली बस को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में यह भी व्यक्त किया है कि दुर्घटना में किसी को कोई चोट नहीं आयी थी। वह न तो ड्राइवर को शक्ल से पहचानता है और न ही उसका नाम पता चला है। इस प्रकार वासुदेव विनोदानी अ.सा. 7 के कथनों से यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षी ने एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली बस को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

16. साक्षी महेश अ.सा. 3 ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी गोबर्धन को नहीं जानता है। उक्त साक्षी ने प्रमाणीकरण प्रदर्श पी 4 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, परंतु यह भी व्यक्त किया है कि उक्त प्रमाण पत्र उसने पुलिस को नहीं दिया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 4 का प्रमाणीकरण पुलिस को दिया था। इस प्रकार महेश अ.सा. 3 द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

17. प्रधान आरक्षक गजेन्द्र सिंह अ.सा. 4 द्वारा प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है। रामकरन शर्मा अ.सा. 8 ने जप्तशुदा बस क्र. एमपी07 पी 0882 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 को प्रमाणित किया है। एस.आई. महेन्द्र देव सिंह अ.सा. 6 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी ने दिनांक 30.03.15 को आरोपी गोबर्धन से बस क्र. एमपी07 पी 0882 जप्त करना बताया है, परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 24.02.15 की है। अतः

दिनांक 30.03.15 को आरोपी गोबर्धन से बस जप्त कर लेने से भी यह प्रमाणित नहीं होता है घटना दिनांक को आरोपी गोबर्धन ही आरोपित बस को चला रहा था।

18. इस प्रकार समग्र अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में फरियादी राकेश गुप्ता अ.सा. 1, श्रीकांत अ.सा. 2, कुनाल अग्रवाल अ.सा. 5 एवं वासुदेव विनोदानी अ.सा. 7 ने एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना के वक्त आरोपित बस क्र. एमपी07 पी 0882 को कौन चला रहा था। उक्त सभी साक्षीगण द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। साक्षी महेश अ.सा. 3 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। शेष साक्षी प्रधान आरक्षक गजेन्द्र सिंह अ.सा. 4, रामकरन शर्मा अ.सा. 8 एवं एस.आई. महेन्द्र देव सिंह अ.सा. 6 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपी गोबर्धन द्वारा आरोपित बस क्र. एमपी07 पी 0882 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी राकेश कुमार गुप्ता की सेन्द्रो कार में टक्कर मारी गयी थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

19. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करे एवं यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है आरोपी ने दिनांक 24.02.15 को दिन के 2:45 बजे मारबल चौराह में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बस क्र. एमपी07 पी 0882 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी राकेश कुमार गुप्ता का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी गोबर्धन सिंह को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा.दं.सं. की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

21. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

22. प्रकरण में जप्तशुदा बस क्र. एमपी07 पी 0882 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 16-01-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)